रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251722
CG-DL-E-02022024-251722

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 2024/माघ 12, 1945
No. 390] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 2024/MAGHA 12, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2024

का.आ. 414(अ).—केंद्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत अपेक्षित है, इससे प्रभावित होने की संभावना वाली जनता की जानकारी के लिए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है; और इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा अधिसूचना पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा, जिस दिन इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी; मसौदा अधिसूचना में शामिल प्रस्ताव पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे निर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्र सरकार के विचार के लिए सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में भेज सकता है या इसे cea-moefcc@gov.in ई-मेल पते पर प्रेषित कर सकता है।

मसौदा अधिसूचना

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (इसके बाद ईपी अधिनियम के रूप में संदर्भित) या वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (इसके बाद वायु अधिनियम के रूप में संदर्भित); या जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण), अधिनियम, 1974 (इसके बाद जल अधिनियम के रूप में संदर्भित); या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (इसके

बाद एफसी अधिनियम के रूप में संदर्भित; या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (इसके बाद डब्ल्यूएलपी अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं, गतिविधियों और प्रक्रियाओं की पर्यावरणीय संपरीक्षा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने और विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के मानदंडों के अनुपालन और उनकी प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए महत्वपूर्ण है; और

उन परियोजनाओं, गतिविधियों या प्रक्रियाओं की पहचान करना जिनमें अनुपालन नहीं हो रहा है या जो लागू पर्यावरणीय नियमों/मानकों का उल्लंघन कर रही हैं या विभिन्न हरित अनुमोदनों में उल्लिखित सामान्य या विशिष्ट शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं; और तदनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए उपचारात्मक कदम उठाना महत्वपूर्ण है; और

संबंधित पर्यावरणीय अनुमोदनों जैसे पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी), संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) आदि में शामिल पर्यावरणीय शर्तों और सुरक्षा उपायों के संबंध में ऐसी परियोजनाओं, गतिविधियों या प्रक्रियाओं की नियमित संपरीक्षा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के उद्देश्यों से ऐसी परियोजनाओं, गतिविधियों और प्रक्रियाओं को शुरू करने वाले परियोजना प्रस्तावक/उद्योग आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित करके स्व-अनुपालन को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, जिससे निकायों की समग्र पर्यावरणीय जिम्मेदारी और संसाधन उत्पादकता में वृद्धि होगी, और;

पर्यावरण संपरीक्षा के नतीजे हमारे पर्यावरण के संरक्षण और कायाकल्प की दिशा में LiFE - पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली के सिद्धांतों को अपनाकर किए गए प्रयासों सहित हमारे प्रयासों को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता के दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से उचित और प्रभावी उपाय करने में भी महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करेंगे और हमारे पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा के लिए भी इनपुट प्रदान करेंगे जिसमें प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान करना शामिल है जिससे पर्यावरणीय संकेतकों के संबंध में बेहतर निष्पादन हो सके; और

प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक के माध्यम से पर्यावरण संपरीक्षा को शामिल करने वाले एक प्रभावी पर्यावरण निगरानी ढांचे से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) रेटिंग जलवायु वित्तपोषण, कार्बन व्यापार आदि के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की भी उम्मीद है; और

चूंकि, पर्यावरणीय अनुपालन सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाइयों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, अत: परियोजना या गतिविधियों के एकीकृत पर्यावरण संपरीक्षा के परिणामों को ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 (जीसीआर) का भी उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जिसके तहत सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाइयों को बाजार आधारित तंत्र के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है और व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट तैयार किया जा सकता है; और

प्रमाणित पर्यावरण लेखा परीक्षक जीसीआर के तहत सत्यापन गतिविधियों को संचालित करने के लिए जीसीआर के तहत 'नामित एजेंसी' के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, यदि उन्हें जीसीआर में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के तहत 'प्रशासक' द्वारा अधिकृत किया गया हो;

प्रस्तावित तृतीय पक्ष पर्यावरण संपरीक्षा, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अनुपालन और निगरानी की मौजूदा प्रणाली का विकल्प नहीं है, बल्कि केवल सरकारी एजेंसियों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए है, जो यादृच्छिक निरीक्षण और सत्यापन की उनकी मौजूदा भूमिका के साथ जारी रहेगी; और

प्रस्तावित तृतीय पक्ष पर्यावरण संपरीक्षा अनन्य रूप से एक स्वैच्छिक तंत्र है और इसे उन संस्थाओं के लिए अनिवार्य बनाने का इरादा नहीं है जो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अनुपालन और निगरानी के मौजूदा ढांचे के भीतर बने रहना चाहते हैं; और

एक संरचित तरीके से पर्यावरण संपरीक्षा करने के उद्देश्य से, पर्यावरण संपरीक्षक योजना को अधिसूचित करना आवश्यक है जो योग्य कर्मियों के पैनलिंग के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित करता है, उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, दायित्व और देनदारियां तथा तंत्र एवं कार्यढांचा निर्धारित करता है जो ऐसी संपरीक्षा करने के लिए आवश्यक है; और

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (इसके बाद ईआईए अधिसूचना के रूप में संदर्भित) के पैरा 7(i)(III) में पहले से ही जन परामर्श के अपेक्षित प्रावधान निर्धारित हैं, जिनके द्वारा उन स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों और अन्य लोगों की चिंताओं को दूर करना सुनिश्चित किया जाता है, जिनकी परियोजना या गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभावों में संभावित हिस्सेदारी है; और पैरा 10 में पर्यावरण मंजूरी के बाद निगरानी तंत्र निर्धारित किया गया है; और इस प्रकार कोई भी पर्यावरण संपरीक्षा ढांचा एक प्रभावी निगरानी तंत्र के माध्यम से पर्यावरणीय अनुपालन को मजबूत करने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने का एक प्रयास मात्र होगा;

अत:, अब, पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा उन परियोजनाओं, गतिविधियों और प्रक्रियाओं की पर्यावरण संपरीक्षा के लिए यह अधिसूचना जारी करती है, जिन्हें ईपी अधिनियम, वायु अधिनियम, जल अधिनियम, एफसी अधिनियम, डब्ल्यूएलपी अधिनियम या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित किसी अन्य अधिनियम या नियमों या विनियमों के तहत केंद्र सरकार और/या राज्य सरकार से पर्यावरणीय मंजूरी और/या अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इस अधिसूचना को पर्यावरण संपरीक्षा अधिसूचना, -------- कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. परिभाषाएँ-

(1) इस अधिसूचना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

क. "अधिनियम" का अर्थ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) है;

ख. "प्रशासक" का अर्थ जीसीआर के नियम 7 में निर्दिष्ट प्रशासक है;

ग. "संपरीक्षा मानदंड' का अर्थ वह मानदंड है जो पर्यावरण संपरीक्षा करने का आधार बनता है और जिसे इस संबंध में तैयार किए जाने वाले दिशानिर्देशों में शामिल किया जा सकता है;

घ. "प्राधिकृत पर्यावरण संपरीक्षा" का अर्थ मौजूदा अधिसूचना के तहत पंजीकृत पर्यावरण संपरीक्षक द्वारा की गई पर्यावरण संपरीक्षा है; और मौजूदा अधिसूचना से पहले, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यावरण संपरीक्षक द्वारा की गई, और/या सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा विधिवत नियुक्त पर्यावरण संपरीक्षक द्वारा की गई संपरीक्षा है;

ङ. "प्रमाणित पर्यावरण लेखा परीक्षक (सीईए)" का अर्थ है योग्यता, न्यूनतम अनुभव रखने वाला और सीईए के लिए दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाला और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित पर्यावरण संपरीक्षा नामित एजेंसी (ईएडीए) द्वारा प्रमाणित कोई पर्यावरण संपरीक्षक;

च. "नामित एजेंसी" का अर्थ जीसीआर के नियम 13 के तहत नामित कोई इकाई है;

छ. "एम्पैनलमेंट एजेंसी" का अर्थ है वह एजेंसी या एजेंसियां, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर पर्यावरण संपरीक्षा फर्म (ईएएफ) के पैनल में शामिल करने के लिए इस संबंध में तैयार किए जाने वाले दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार अभिज्ञात किया जाता है;

ज. "पैनलबद्ध पर्यावरण संपरीक्षा फर्म (ईएएफ)" का अर्थ है ऐसी फर्में या एजेंसियां जिनमें पंजीकृत पर्यावरण संपरीक्षक सहित ऐसे पेशेवर शामिल हैं, जिनके पास पर्यावरण प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ *राष्ट्रीय* और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय ढांचे, कानून, संधियां और घोषणाएं, दिशानिर्देश, पर्यावरणीय अनुमोदन, पर्यावरणीय मानक, प्रभावी पर्यावरण मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए प्रासंगिक अवधारणाएँ जैसे प्रदूषण की मात्रा का मूल्यांकन, किसी क्षेत्र की वहन क्षमता, ऊर्जा संपरीक्षा, पर्यावरण वित्तीय संपरीक्षा, पर्यावरण अनुपालन संपरीक्षा, पर्यावरण निष्पादन संपरीक्षा, जल संपरीक्षा इत्यादि शामिल हैं, में विशेषज्ञता है और दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं तथा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित एम्पैनलमेंट एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध होते हैं;

झ. 'पर्यावरणीय संपरीक्षा' का अर्थ है पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की एक स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ जांच; पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और अनुमति की शर्तों का अनुपालन, किसी संगठन, केन्द्र या स्थल द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं का अनुपालन और प्रभावकारिता, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि क्या, या किस हद तक, वे जिम्मेदार पर्यावरण प्रबंधन के संदर्भ में निर्दिष्ट संपरीक्षा मानदंडों के अनुरूप हैं और साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी/अनुमोदन प्रदान करते समय निर्धारित शर्तों के अनुपालन कर रहे हैं और इसमें पर्यावरणीय दायित्वों के संदर्भ में पर्यावरणीय वित्तीय लेखा परीक्षा, पर्यावरण निष्पादन लेखा परीक्षा और पर्यावरण अनुपालन संपरीक्षा शामिल होगी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी।

ञ. "पर्यावरण संपरीक्षक (ईए)" का अर्थ पर्यावरण प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता रखने वाला कोई व्यक्तिगत पेशेवर या फर्म है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ *राष्ट्रीय* और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय ढांचे, कानून, संधियों और घोषणाएं, दिशानिर्देश, पर्यावरणीय अनुमोदन, पर्यावरणीय मानक, प्रभावी पर्यावरण मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए प्रासंगिक अवधारणाएँ जैसे प्रदूषण की मात्रा का मूल्यांकन, किसी क्षेत्र की वहन क्षमता, ऊर्जा संपरीक्षा, पर्यावरण वित्तीय संपरीक्षा, पर्यावरण अनुपालन संपरीक्षा, पर्यावरण निष्पादन संपरीक्षा, जल संपरीक्षा इत्यादि शामिल हैं;

ट. "पर्यावरण संपरीक्षा नामित एजेंसी (ईएडीए)" का अर्थ है समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित एजेंसी या एजेंसियां, जो पर्यावरण संपरीक्षक के लिए पात्रता मानदंड तैयार करने और उनके प्रमाणन और पंजीकरण के लिए आवश्यक परीक्षा आयोजित करने उनके कार्य निष्पादन की निगरानी, सीईए, पंजीकृत पर्यावरण लेखापरीक्षकों (आरईए) और ईएएफ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित पर्यावरण संपरीक्षा योजना के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं।

ठ. "पर्यावरण अनुपालन संपरीक्षा" में गतिविधियों, परियोजना या प्रक्रियाओं की संपरीक्षा शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें से किसी एक या उनके संयोजन को प्रासंगिक पर्यावरण कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं, विनियमों और मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं और इसमें ईपी अधिनियम, वायु अधिनियम, जल अधिनियम, एफसी अधिनियम और डब्ल्यूएलपी अधिनियम और इस संबंध में जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, नियमों और विनियमों के तहत मामले के आधार पर संबंधित परियोजना के संबंध में निर्धारित विशिष्ट शर्तों की जांच और अनुपालन शामिल होगा।

ड. "पर्यावरण वित्तीय संपरीक्षा" से, पर्यावरण संपरीक्षा के घटक अभिप्रेत है जो संपरीक्षक को इस बात पर मत व्यक्त करने में सक्षम बनाता है कि क्या वित्तीय विवरणियां, वित्तीय व्यापकता को दर्शाते हैं, पर्यावरणीय देयताओं/दायित्वों और भौतिक मामलों में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए खातों में पर्याप्त प्रावधान/भंडार/संसाधन उपलब्ध हैं जिन्हें सीधे तौर पर पर्यावरणीय लागतों, दायित्वों, प्रभावों और परिणामों से जुड़ा जा सकता है और जो ऐसी परियोजना, कार्यकलाप या प्रक्रियाओं पर लागू संगत प्रासंगिक पर्यावरणीय विनियमों के अधीन प्रदत्त या प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय अनुमोदनों के साथ उत्पादन या निर्गत के परिमाण के साथ सहसंबंधित हो सकते हैं।

ठ. "पर्यावरण कार्य-निष्पादन संपरीक्षा" में इकाई के कार्य-निष्पादन और प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने तथा कम करने और निर्धारित मानकों और संकेतकों को पूरा करने के परिप्रेक्ष्य से परियोजना, कार्यकलापों या प्रक्रियाओं को निष्पादित करते समय किए गए प्रौद्योगिकी समाधानों या अन्य पद्धतियों की दक्षता का मूल्यांकन/जांच शामिल है;

ण. "हरित अनुमोदन" से ईपीए, 1986; वायु और जल अधिनियम; वन संरक्षण अधिनियम; और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी विनियमों, या किसी अन्य संबंधित मौजूदा विनियमों और केंद्रीय या राज्य सरकार के आदेश के तहत प्रदत्त या प्राप्त कोई भी अनुमोदन/मंजूरी/प्राधिकार अभिप्रेत है;

त. "दिशानिर्देश" से समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर इस अधिसूचना के संदर्भ में सरकार या ईएडीए द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देश अभिप्रेत है;

थ. "पंजीकृत पर्यावरण संपरीक्षक (आरईए)" से ऐसे सीईए, जो पर्यावरण संपरीक्षा करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं, अभिप्रेत है;

ध. "पंजीकृत पर्यावरण संपरीक्षा फर्म (आरईएएफ)" से ऐसे सूचीबद्ध ईएएफ अभिप्रेत है जो पर्यावरण संपरीक्षा करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं;

न. "राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा" से पर्यावरण संपरीक्षकों को प्रमाणित करने के लिए ईएडीए द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन अखिल भारतीय परीक्षा अभिप्रेत है।

3. आरईए/आरईएएफ की भूमिका और उत्तरदायित्व

पर्यावरण संपरीक्षक की भूमिका और उत्तरदायित्वों में शामिल होंगे :

i. विद्यमान पर्यावरण कानूनों और विनियमों जैसे कि ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत ईसी; वायु और जल अधिनियम के तहत संचालन की सहमति (सीटीओ); खतरनाक अपशिष्ट नियमों आदि के तहत प्राधिकार; एफसी अधिनियम के तहत वन स्वीकृति; डब्ल्यूएलपी अधिनियम, सीआरजेड विनियमों आदि के तहत वन्यजीव स्वीकृति के संबंध में परियोजना, कार्यकलापों और प्रक्रियाओं की तृतीय-पक्षकार के माध्यम से निष्पक्ष पर्यावरण संपरीक्षा कराना;

ii. पर्यावरण संपरीक्षा में पर्यावरण वित्तीय संपरीक्षा, पर्यावरण कार्य-निष्पादन संपरीक्षा और पर्यावरणीय दायित्वों के संदर्भ में पर्यावरण अनुपालन संपरीक्षा शामिल होगी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी;

iii. निर्धारित विनियमों और मानकों के अनुसार परियोजना, कार्यकलापों और प्रक्रियाओं की स्व-अनुपालन रिपोर्ट का सत्यापन करना; और अनुमोदित दिशानिर्देश, नयाचार, टेम्प्लेट और पद्धतियों का उपयोग करना;

iv. अभिज्ञात पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में उपशमन संबंधी उपायों की सिफारिश करना, जिसमें पर्याविणीय स्वीकृति (ईसी) के संदर्भ में, पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) (पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट के भाग के रूप में) में इंगित उपशमन उपायों और ईसी के लिए परियोजना के आकलन के दौरान अभिज्ञात उपायों को ध्यान में रखा जाएगा;

v. उत्सर्जन, बहिस्त्राव आदि के लिए, जहां भी आवश्यक हो, नमूना एकत्रण और विश्लेषण तथा संस्थापित प्रदूषण नियंत्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन उपकरणों का मूल्यांकन, करना; जिसके लिए संपरीक्षक के पास उपकरण/उपस्कर/प्रणालियां और सॉफ्टवेयर उपलब्ध होंगे या वह संपरीक्षा के दौरान सूचना और आंकड़े एकत्रित करने के लिए एनएबीएल/एमओईएफ/सीसी/सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सेवाएं लेगा;

vi. परियोजना, प्रक्रिया या कार्यकलाप, जैसा भी मामला हो, पर लागू मौजूदा पर्यावरणीय विनियमों के उल्लंघन होने और अनुपालन न किए जाने के मामलों की रिपोर्ट करना;

vii. अनुपालन न किए जाने और उल्लंघन होने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना करना;

viii. मौजूदा विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यावरण संपरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना;

ix. 'नामित अभिकरण', यदि जीसीआर में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के तहत 'प्रशासक' द्वारा अधिकृत भी किया गया हो, के रूप में जीसीआर के संबंध में सत्यापन संबंधी कार्यकलाप करना।

4. संपरीक्षा शुरू करने के लिए विचारार्थ सूचना के स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :

i. संबंधित सरकारी अभिकरणों/विनियामक प्राधिकरणों से परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त हरित अनुमोदन।

ii. ईआईए रिपोर्ट से संबंधित ईएमपी;

iii. पर्यावरणीय अनुपालन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक पर लागू नियम और विनियम।

iv. परियोजना प्रस्तावक की आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्ट और/या बाह्य विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हो।

v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरकारी अभिकरणों, विनियामक निकायों आदि को प्रदान की गई प्रतिबद्धताएं और आश्वासन।

vi. क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ)/उप-क्षेत्रीय कार्यालय (एसआरओ)/एसपीसीबी/सीपीसीबी द्वारा निरीक्षण।

vii. सिविल सोसाइटी संगठनों से प्राप्त सामग्री, विशेषज्ञ समीक्षा रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट, अकादमिक समीक्षा आदि।

viii. परियोजना प्रस्तावक के वित्तीय खाते;

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनाए गए प्रौद्योगिकी समाधान और इन्हें कार्य-निष्पादन और उद्योग संबंधी मानकों एवं पद्धतियों तथा तत्संबंधी मौजूदा विनियमन के साथ सुसंगत मानदंड निर्धारित करना;

x. राष्ट्रीय या विश्व स्तर पर स्वीकृत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संचालित संधारणीय आंकलन अध्ययन रिपोर्ट;

xi. जीसीआर के हिस्से के रूप में शुरू की जा रही परियोजनाएं, गतिविधियां, प्रक्रियाएं।

5. **संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य एकत्र करने के तरीके:** संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य लिखित प्रश्नों, प्रश्नावली, साक्षात्कार, फोटोग्राफ, नमूनों के परीक्षण या दिशानिर्देशों में निर्धारित या पर्यावरण संबंधी संपरीक्षकों द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य पद्धति जैसे किसी भी माध्यम से एकत्र किए जाएंगे। संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य एकत्र करने के लिए ऑडिटर निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या इनके संयोजन को अपना सकते हैं:

i. प्रासंगिक दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्ट की समीक्षा;

ii. प्रासंगिक स्थल कर्मियों का साक्षात्कार;

iii. प्रासंगिक गतिविधियों/प्रक्रियाओं और परियोजना का स्थल निरीक्षण

iv. तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम गतिविधियां

v. संपरीक्षा के उद्देश्य और इसके विस्तार क्षेत्र के आधार पर, जैसा उपयुक्त हो, अन्य संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य संग्रह विधियां

vi. एनजीटी/न्यायालयों के आदेशों/निर्णयों के अनुसार व्यक्तियों/समितियों द्वारा की गई निरीक्षण रिपोर्ट/संपरीक्षा ।

6. **स्थल का दौरा और नमूनाकरण-** संपरीक्षा परिणाम और निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो नमूने सहित पर्याप्त, स्वीकार्य और भौतिक संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से स्थल का दौरा किया जाएगा।

7. **संपरीक्षा की अवधि-** संपरीक्षा में पिछले अधिकृत पर्यावरण संबंधी संपरीक्षा के बाद की अवधि के दौरान की गई गतिविधि, प्रक्रियाएं या परियोजना; या जहां कोई पिछला अधिकृत पर्यावरण संबंधी संपरीक्षा नहीं हुआ है, प्रासंगिक विनियमन के तहत प्रासंगिक पर्यावरण संबंधी मंजूरी/अनुमोदन जारी होने की तारीख से लेकर अब तक की अवधि; और परियोजना या गतिविधि या प्रक्रिया के प्रारंभ होने की तारीख से यदि ऐसी पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है, शामिल होगी।

8. **संपरीक्षा की आवधिकता-** किसी परियोजना, गतिविधि या उसकी प्रक्रिया के संदर्भ में संपरीक्षा की आवधिकता वही होगी जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है।

9. **पर्यावरण संबंधी संपरीक्षा अधिसूचना का कार्यान्वयन-** मौजूदा अधिसूचना को पर्यावरण संबंधी संपरीक्षा हेतु निर्दिष्ट एजेंसी (ईएडीए), अर्थात् राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से लागू किया जाएगा जिस पर पैनलबद्ध एजेंसी सहित सभी अपेक्षित एजेंसियों/संगठनों की सहायता से मौजूदा अधिसूचना की जानकारी के प्रभावी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी होगी।

10. **पर्यावरण संबंधी संपरीक्षा हेतु निर्दिष्ट एजेंसी (ईएडीए) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे :**

i. पर्यावरण संपरीक्षकों का प्रमाणन तथा पंजीकरण और उनका नवीनीकरण, प्रत्याहरण, निलंबन या ऐसे प्रमाणीकरण अथवा पंजीकरण को रद्द करना;

ii. ईए के प्रमाणन और सीईए के पंजीकरण हेतु न्यूनतम पात्रता संबंधी अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करना;

iii. यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नियुक्त करके पर्यावरण संपरीक्षक के रूप में प्रमाणन और पंजीकरण के लिए योग्य कर्मियों की पहचान करने के लिए अपेक्षित परीक्षा का संचालन और/या ऐसी अन्य प्रक्रिया शुरू करना;

iv. आरईए के कार्य-संचालन के लिए दिशानिर्देश/प्रक्रियाएं/मानक विनिर्दिष्ट करना;

v. आरईए के कार्य-निष्पादन की निगरानी करना और अनुपालन के लिए आवश्यकतानुसार निर्देश जारी करना;

vi. सीईए और ईएएफ़ की कार्यशालाओं, सेमीनारों, सम्मेलनों आदि के माध्यम से प्रशिक्षण का संचालन करना ताकि उनका अत्याधुनिक तकनीकों, उपशमन विधियों के आधार पर अद्यतन किया जा सके।

vii. क्षमता-सृजन संबंधी उपाय करना, जैसे कि:-

क. स्व-प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना

ख. अन्य संपरीक्षा संस्थानों के साथ ज्ञान को साझा करना और मानक-मूल्यांकन करना

ग. प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना

घ. पर्यावरण संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग

ङ. ज्ञान-अनुभव साझा करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति

च. पर्यावरण ऑडिटिंग में अभ्यास से संबंधित सामग्री सहित ऑनलाइन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सामग्री तैयार करना।

viii. जिन आरईएएस के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, जिसमें उनका पंजीकरण निलंबित/रद्द करना भी शामिल है। हालाँकि, ईएडीए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना किसी संपरीक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

11. एंपैनलनलमेंट एजेंसी की भूमिकाएँ और उनका उत्तरदायित्व-

i. ईएएफ को पैनलबद्ध करना तथा उसका पंजीकरण करना और उनका नवीनीकरण, ऐसे पंजीकरणों की वापसी, निलंबन या रद्द करना;

ii. ईएएफ के पैनल में शामिल होने और पंजीकरण के लिए न्यूनतम पात्रता संबंधी अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करना।

iii. पैनल में शामिल होने और पंजीकरण हेतु ईएएफ की आरईएएफ के रूप में पहचान करने के लिए प्रक्रिया शुरू करना

iv. आरईएएफ के कार्य-संचालन के लिए दिशानिर्देश/प्रक्रियाएं/मानक विनिर्दिष्ट करना;

v. आरईएएफ के कार्य-निष्पादन की निगरानी करना और अनुपालन के लिए आवश्यकतानुसार निर्देश जारी करना;

vi. आरईएएफ को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, उपशमन उपायों आदि के संबंध में अद्यतित रखने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करना।

vii. जिन आरईएएस के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, जिसमें उनका पंजीकरण निलंबित/रद्द करना भी शामिल है। हालाँकि, पैनलबद्ध एजेंसी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना आरईएएफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

12. ईएडीए और एम्पैनलमेंट एजेंसी का पंजीकरण- ईएडीए और एम्पैनलमेंट एजेंसी को पांच (5) वर्षों के लिए मंत्रालय के साथ पंजीकृत किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा जो ईएडीए या एम्पैनलमेंट एजेंसी के रूप में उनकी पुष्टि का आधार होगा।

13. ईएडीए और एम्पैनलमेंट एजेंसी की जवाबदेही- ईएडीए और एम्पैनलमेंट एजेंसी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अपने कार्य करेगी। वे:

i. अपने कार्यों को पारदर्शी ढंग से करेंगी

ii. सुनिश्चित करेंगी कि हितधारक चर्चाएं, जो भी प्रासंगिक हों, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई है

iii. इस संबंध में मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अपने द्वारा किए गए कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगी, जिसकी प्रति मंत्रालय को भी सौंपी जाएगी।

केंद्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि अधिसूचित ईएडीए और एम्पैनलमेंट एजेंसी की अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन में कमी पाई गई है और/या विश्वास का भंजन किया गया है, उचित समझे जाने पर ईएडीए/एम्पैनलमेंट एजेंसी का पंजीकरण रद्द कर सकती है।

14. **पर्यावरण संपरीक्षकों का प्रमाणन -** पर्यावरण संपरीक्षक को निम्नलिखित दो विधियों, जिन्हें दिशानिर्देशों में विस्तार से बताया जाएगा, का उपयोग करके ईएडीए द्वारा प्रमाणित किया जाएगा :

i. पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) - एक सीमित विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संचालन में होना

ii. राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा (एनसीई) प्रक्रिया।

ईएडीए दिशानिर्देशों में उपरोक्त प्रत्येक विधि के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्धारित करेगा।

15. **एनसीई और आरपीएल योजना की प्रयोज्यता**

i. आरईए पूल विकास अपेक्षाओं का ध्यान रखने के लिए ईए के प्रमाणीकरण हेतुराष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा (एनसीई) प्रक्रिया -------2024 तक प्रचालन में आने की उम्मीद है।

ii. सीईए के प्रमाणीकरण का आरपीएल मोड ......2024 तक प्रचालन में आ जाएगा और समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार प्रचालन में रहेगा।

16. **सीईए और पैनलबद्ध किए गए ईएएफ का पंजीकरण –**

i. कोई भी पेशेवर या फर्म तब तक पर्यावरण संपरीक्षक के रूप में सेवाएं प्रदान नहीं करेगा जब तक कि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत न किया गया हो। पंजीकृत होने के लिए, पेशेवर और फर्म को क्रमशः ईएडीए द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और एम्पैनलमेंट एजेंसी द्वारा पैनलबद्ध किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें न्यूनतम निर्धारित योग्यता और / या मानदंड रखने होंगे, और पेशेवर को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ईएडीए द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा (यदि निर्धारित हो) के लिए उपस्थित होने सहित अपेक्षित चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है;

ii. मंत्रालय पंजीकृत सीईए और पैनलबद्ध ईएएफ की सूची वाला एक ऑनलाइन रजिस्टर रखेगा;

iii. प्रमाणन के बाद सीईए को पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरणीय अनुपालन के संदर्भ में सहायता करने वाली निजी/सार्वजनिक संस्थाओं के साथ भी नियोजित किया जा सकता है। तथापि, उद्योगों द्वारा नियोजित उन सीईए को पर्यावरण संपरीक्षा अधिसूचना के अंतर्गत संपरीक्षा करने के लिए आरईए के रूप में मंत्रालय में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।

iv. पेशेवर के लिए विस्तृत प्रमाणन प्रक्रिया और पर्यावरण संपरीक्षा फर्म (ईएएफ) के लिए विस्तृत एम्पैनलमेंट प्रक्रिया और उनका पंजीकरण दिशानिर्देश में निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

17. **पंजीकरण की वैधता की अवधि**

i. सीईए का पंजीकरण **तीन वर्ष** की अवधि के लिए वैध होगा और हर तीन साल के बाद नवीनीकृत करने योग्य होगा, जिसके लिए प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक, ईएडीए द्वारा आयोजित अल्पकालिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेगा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

ii. ईएएफ का पंजीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार एम्पैनलमेंट एजेंसी द्वारा समीक्षा के आधार पर पांच वर्षों के बाद इसका नवीनीकरण किया जा सकता है।

18. पात्रता मानदंड - पर्यावरण संपरीक्षकों के प्रमाणन और पर्यावरण संपरीक्षा फर्मों को पैनल में शामिल करना और उनका पंजीकरण, ईएडीए द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देशों में निर्धारित किए गए अनुसार होगा।

19. सीईए, आरईए और पंजीकृत पर्यावरण संपरीक्षा फर्म (आरईएएफ) का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण –

i. ईएडीए, प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक, पंजीकृत पर्यावरण संपरीक्षक (आरईए) और आरईएएफ को पर्यावरणीय वित्त, अनुपालन और निष्पादन संपरीक्षा में उनकी भूमिका के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण और वन संबंधी विभिन्न अधिनियमों और विनियमों जैसे ईपीए, वायु अधिनियम, जल अधिनियम, वन अधिनियम, वन्यजीव अधिनियम, ईआईए अधिसूचना, अपशिष्ट प्रबंधन नियम और अध्ययन के अन्य ऐसे क्षेत्र जैसे ऊर्जा दक्षता आकलन, कर-निर्धारण, जीएसटी आदि का ज्ञान शामिल होगा जो प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए प्रासंगिक हैं।

ii. आरईएएफ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के दौरान एम्पैनलमेंट एजेंसी को शामिल किया जाएगा।

20. आरईए/आरईएएफ की जवाबदेही - आरईए/आरईएएफ सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित योजना के अनुसार संपरीक्षा करेगा। आरईए/आरईएएफ, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित योजना के अंतर्गत उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों के लिए सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे और तदनुसार, अपने कर्तव्यों/जिम्मेदारियों के उल्लंघन के लिए उन पर कार्रवाई की जा सकती है।

21. ईएडीए, एम्पैनलमेंट एजेंसी, आरईए और आरईएएफ की प्रचालनात्मक स्वायत्तता

i. ईएडीए और एम्पैनलमेंट एजेंसी समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और मानकों के अधीन अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन में प्रचालनात्मक और कार्यात्मक स्वायत्तता का प्रयोग करेंगे।

ii. आरईए/आरईएएफ केंद्रीय सरकार के नियमों और विनियमों और ईएडीए द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।

22. विश्वास भंग करने के परिणाम: आरईए और आरईएएफ, किसी भी भौतिक तथ्य को यदि अनुचित तरीके से या गलत तरीके से या गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए या सूचना नहीं देते हुए पाए जाते हैं या किसी भी भौतिक तथ्य को प्रस्तुत नहीं करते हैं या तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करते हैं जिसे संपरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है या गैर-पेशेवर / अनैतिक आचरण और पद्धतियों के सिद्ध उदाहरणों के मामले में विश्वास भंग करना माना जाएगा। 'विश्वास भंग करने के परिणामों' में निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी या इनका संयोजन शामिल हो सकता है:

i. **आरईए/आरईएएफ पर रोक :** मंत्रालय के पास ऐसे आरईए/आरईएएफ पर रोक लगाने का अधिकार होगा जिसने विश्वास का भंजन किया है।

ii. **पंजीकरण का निरसन:** आरईए / आरईएएफ के गैर-पेशेवर / अनैतिक आचरण और पद्धतियों के सिद्ध उदाहरणों के आधार पर पंजीकरण को निर्दिष्ट अवधि के लिए निरसित या निलंबित किया जा सकता है। ईएडीए और एम्पैनलमेंट एजेंसी इस उद्देश्य से मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगी। संबंधित आरईए या आरईएएफ को उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा और इस मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

iii. **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत परिणाम:** आरईए/आरईएएफ, गैर-पेशेवर/अनैतिक आचरण और पद्धतियों के सिद्ध उदाहरणों के आधार पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन के लिए भी उत्तरदायी होगा और उक्त अधिनियम की धारा 15 और 19 के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।

23. हितों का टकराव: स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और हितों के टकराव से बचने के लिए, संपरीक्षा करने वाले आरईए/आरईएएफ का:

i. संबंधित परियोजना, प्रक्रिया या गतिविधि के किसी मालिक या संचालक या परियोजना प्रस्तावक से संबंध नहीं होना चाहिए। इस तरह के संबंध में नियोक्ता, व्यावसायिक भागीदार, कर्मचारी, संपरीक्षा के बाहर संविदात्मक व्यवस्था रखने वाला, जीवनसाथी, भागीदार, भाई-बहन, माता-पिता और बच्चा शामिल हैं;

ii. संपरीक्षिती या मूल कंपनी की प्रासंगिक परियोजना, प्रक्रिया या गतिविधि में कोई आर्थिक रुचि नहीं है या ना ही थी। इस तरह के हित में वह स्थिति शामिल है जहां लेखापरीक्षक को, या किसी ऐसे व्यक्ति को वित्तीय लाभ या हानि प्राप्त करने की उचित संभावना या अपेक्षा होती है, जिससे लेखापरीक्षक का निकट संबंध होता है (जैसे कि सगा परिवार, संगठन जिसमें वह व्यक्ति है या सेवा कर चुका है);

iii. ऐसी परियोजना, प्रक्रिया या गतिविधि में इस सीमा तक सेवाएँ (स्वतंत्र समीक्षा/संपरीक्षा शामिल नहीं) प्रदान नहीं की गई हो जिससे वे स्वयं या उनकी कंपनी द्वारा किए गए संपरीक्षा कार्य प्रतीत हों; या

iv. संपरीक्षित संगठनों, उनके कर्मचारियों या किसी इच्छुक पक्ष से कोई प्रलोभन, कमीशन, उपहार या कोई अन्य लाभ स्वीकार करना या जानबूझकर सहकर्मियों को ऐसा करने की अनुमति देना;

v. संयुक्त रूप से या गंभीर रूप से, किसी भी संपरीक्षिती की पर्यावरणीय संपरीक्षा करना, जिसके मामले में ऐसे आरईए/आरईएएफ ने या तो ईआईए या ईएमपी रिपोर्ट तैयार की है या कोई अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो पर्यावरणीय संपरीक्षा का विषय हो सकती है।

24. वार्षिक वित्तीय संपरीक्षा के भाग के रूप में पर्यावरणीय संपरीक्षा- फर्मों/कंपनियों के नियमित वार्षिक वित्तीय संपरीक्षा के हिस्से के रूप में पर्यावरणीय संपरीक्षा को शामिल करना वांछनीय होगा, जिसमें संबंधित संपरीक्षा दल, आरईए/आरईएएफ के सहयोग से पर्यावरणीय वित्तीय संपरीक्षा, पर्यावरणीय अनुपालन संपरीक्षा और पर्यावरणीय कार्य-निष्पादन संपरीक्षा के क्षेत्रों में पर्यावरणीय अनुपालन का सत्यापन कर सकती हैं।

25. पर्यावरणीय संपरीक्षा के लिए परियोजनाओं में आरईए/आरईएएफ का कार्य- उपरोक्त खंड 23 के प्रावधान के अधीन, विशेष परियोजना इकाई को आरईए/आरईएएफ का कार्य, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिवेश पोर्टल के साथ एकीकृत कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करके यादृच्छिक कार्य पद्धति पर आधारित होगा।

26. संपरीक्षा प्रतिवेदन, दिशानिर्देशों में ईएडीए द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और प्रपत्रों के अनुसार होगी।

27. संपरीक्षा रिपोर्ट के बाद अनुवर्ती कार्रवाई

i. संपरीक्षक, संपरीक्षिती के प्रबंधकों को समीक्षा के लिए मसौदा संपरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध करा सकता है और उक्त संपरीक्षिती को कोई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने का अवसर प्रदान कर सकता है। लेखापरीक्षिती को अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के अधिकतम चार सप्ताह के भीतर संपरीक्षा निष्कर्षों और किसी भी अन्य सिफारिशों पर एक कार्य योजना के साथ संपरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर देना चाहिए;

ii. संपरीक्षक की मसौदा रिपोर्ट को केवल तभी संशोधित किया जाना चाहिए जब अतिरिक्त जानकारी या साक्ष्य प्रदान किया गया हो जिसके परिणामस्वरूप अनुपालन स्थिति में बदलाव होता है या तथ्य या गलतफहमी में त्रुटियों को ठीक किया जाता है;

iii. ऐसी स्थिति में जब संपरीक्षा रिपोर्ट के लिए विशेष रूप से जटिल या तकनीकी कार्य योजना के विकास की आवश्यकता होती है, तो संपरीक्षिती उसे पूरा करने के लिए औचित्य के साथ लंबी समय सीमा का अनुरोध कर सकता है, जो विनियामक प्राधिकारियों को प्रस्तुत प्रमाणित पर्यावरणीय संपरीक्षा रिपोर्ट का हिस्सा होगा;

iv. आरईएएफ द्वारा प्रमाणित पर्यावरणीय संपरीक्षा रिपोर्ट के नियमित वार्षिक प्रस्तुतीकरण के ट्रैक रिकॉर्ड वाली परियोजना को मौजूदा कानूनों के तहत विस्तार परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी/अनुमोदन हेतु उनके

आवेदन पत्र के संबंध में विनियामक प्राधिकारियों से अलग से प्रमाणित अनुपालन रिपोर्ट की आवश्यकता से छूट दी जाएगी;

28. संपरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई- संपरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा मंत्रालय की मंजूरी से ईएडीए द्वारा गठित एक शीर्ष समीक्षा समिति द्वारा की जाएगी; और शीर्ष समिति द्वारा समीक्षित समीक्षा रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित नियामक प्राधिकारियों को भेज दी जाएगी।

29. पर्यावरणीय संपरीक्षा अधिसूचना के तहत पर्यावरणीय संपरीक्षा संरचना संबंधी समिति

पर्यावरणीय संपरीक्षा दिशानिर्देशों में संशोधन सहित पर्यावरणीय संपरीक्षा संरचना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अपर सचिव/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति पर्यावरणीय संपरीक्षा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और योजना के किसी भी प्रावधान से संबंधित समय-समय पर ऐसे आवश्यक उपाय भी करेगी जो कठिनाइयों को दूर करने और योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

30. इसमें ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है जो सरकार द्वारा किसी अन्य संपरीक्षा को अनिवार्य करने से रोकता हो, जैसा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत अन्य एजेंसी द्वारा समय-समय पर उचित समझा जाए।

31. इसमें ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है जो कुछ भी केंद्र सरकार को कोई भी कार्रवाई शुरू करने से रोकता हो, पर्यावरण क्षति की किसी भी रिपोर्ट के मामले में, जो तथ्यात्मक और भौतिक साक्ष्यों द्वारा पुष्टि की गई जांच के आधार पर सही साबित हुई हो और जो इस योजना के तहत पर्यावरणीय संपरीक्षा के अलावा अन्य स्रोतों के माध्यम से अपनी जानकारी में लाई गई हो।

[फा.सं. आई ए -जे-11014/3/2021- आई ए -I.पार्ट.-I]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2024

S.O. 414(E).— Whereas, the Central Government proposes to issue the following draft notification in exercise of the powers conferred to it by sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public; Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address at cea-moefcc@gov.in

Draft Notification

Whereas, environmental audit of the projects, activities and processes, approved under the Environment (Protection) Act, 1986 (herein after referred as EP Act); or Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (herein after referred as Air Act); or Water (Prevention and Control of Pollution), Act, 1974 (herein after as Water Act); or Forest (Conservation) Act, 1980 (herein after as FC Act); or Wild Life (Protection) Act, 1972 (herein after referred as WLP Act) is important to ensure compliance of the stipulated conditions and to verify the compliance of the norms of environmental standards prescribed by the regulatory authority & their effectiveness in order to prevent, control & abate environmental pollution; and

Whereas, it is important to identify projects, activities or processes that are non-compliant or are in violation of applicable environmental regulations/standards or are in violation of general or specific conditions mentioned in different green approvals; and to accordingly initiate remedial steps for prevention, control & abatement of environmental pollution; and

Whereas, regular audit of such projects, activities or processes wrt environmental conditions and safeguards incorporated in associated environmental approvals viz. Environmental Clearance(EC), Consent to Operate (CTO) etc. shall prompt and encourage self-compliance by putting in place internal control mechanism by the Project Proponent/Industry undertaking such projects, activities and processes, for the purposes of prevention, control and abatement of environmental pollution, leading to increased overall environmental responsibility and resource productivity of the entities, and;

Whereas, the outcome of environment audit would also provide important inputs in undertaking appropriate and effective measures aimed at reinforcing our efforts towards conservation and rejuvenation of our environment and fulfilling the obligations of Government of India's commitment on Climate Action including through adopting the principles of LiFE - Lifestyle for Environment and would also provide inputs for effective protection of our environment including identifying best practices in prevention, control and abatement of pollution leading to better performance on environmental indicators; and

Whereas, an effective environment monitoring framework comprising Environment Auditing through certified environment auditors is also expected to create an enabling ecosystem for implementing government's vision on Environment, Social and Governance (ESG) rating of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Sovereign Green Bond, climate financing, carbon trading etc; and

Whereas, environmental compliance being an important indicator of positive environmental actions, the outcome of the integrated environment audit of the project or activities, can also feed into the Green Credit Rules, 2023 (GCR) vide which positive environmental actions have been incentivised through market based mechanism and generate tradeable green credits; and

Whereas, the Certified Environment Auditors can also act as 'designated agency' under the GCR to carry out verification activities under the GCR, if also authorized by the 'Administrator' under the Green Credit Rule, 2023 following the procedure prescribed in GCR;

Whereas, the proposed third party environment audit is not an alternate to the existing system of compliance and monitoring through government agencies but is only to supplement the efforts of the government agencies, which will continue with their existing role of random inspection and verification; and

Whereas, **the proposed third party environment audit is exclusively a voluntary mechanism and not intended to be made mandatory for those entities who want to continue within the existing framework of compliance and monitoring through government agencies;** and

Whereas, for the purpose of undertaking Environmental Audit in a structured manner, it is necessary to notify Environmental Auditors Scheme that prescribes the necessary eligibility criteria and procedure for empanelment of qualified personnel, laying down their roles and responsibilities, obligation and liabilities and the mechanism and framework which need to be put in place for undertaking such audits; and

Whereas, Environment Impact Assessment Notification, 2006 (herein after referred as EIA Notification) at Para 7(i)(III) already prescribes requisite provision of Public Consultation by which the concerns of local affected persons and others who have plausible stake in the environmental impacts of the project or activity are ascertained, and at Para 10 prescribes Post Environmental Clearance Monitoring mechanism; and thus any environment auditing framework will be only an endeavor furthering the Government of India's efforts towards strengthening of environmental compliance through an effective monitoring mechanism;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) & clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)), read with sub-rule (4) of the Rule 5 of the Environment Protection Rules, 1986; the Central Government hereby issues this notification for environmental audit of the projects, activities and processes that are mandated to obtain environmental clearances and/or approvals from the Central Government and/or from the State Government under the EP Act, Air Act, Water Act, FC Act, WLP Act or under any other Act or Rules or Regulations pertaining to Environment, Forest and Climate Change.

1. Short title and commencement

(1) This notification may be called the Environment Audit Notification, ----------.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Definitions-

(1) In this Notification, unless the context otherwise requires--

a. "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986);
b. "Administrator" means the Administrator referred to in rule 7 of GCR;

c. “Audit Criteria’ means the criteria that forms the basis for conducting environmental audit and that may be enumerated in the guidelines to be formulated in this regard;

d. “Authorized Environment Audit” means Environment Audit undertaken by registered Environment Auditor under the extant notification; and prior to the extant notification, Environment Audit undertaken by government recognized Environment Auditor, and/or by the Environment Auditor duly engaged by the Government or its agencies;

e. “Certified Environment Auditor (CEA)” means an environment auditor possessing qualification, minimum experience, and meeting such criteria as specified in the guidelines for the CEA, and certified by Environment Audit Designated Agency (EADA) as notified by the Central Government from time to time;

f. “Designated agency” means an entity designated as such under rule 13 of GCR;

g. “Empanelment Agency” means the agency or agencies, as identified by the Government from time to time, for undertaking empanelment of Environment Audit Firm (EAF), as per the criteria enumerated in the guidelines to be formulated in this regard;

h. “Empaneled Environment Auditing Firm (EAF)” means firms or agencies comprising professionals including Registered Environment Auditors having expertise in various aspects of environmental management that *inter-alia* include national and international environmental frameworks, legislations, conventions and declarations, guidelines, environmental approvals, environmental standards, relevant concepts for effective environmental assessment and management viz. pollution load assessment, carrying capacity of an area, energy audit, environment financial audit, environment compliance audit, environment performance audit, water audit etc, and meets the criteria, as specified in the guidelines and are empanelled by Empanelment Agency as notified by the central government from time to time;

i. ‘Environment Audit’’ means an independent and objective examination of various facets relating to environment management; adherence to environmental safeguards and consent conditions, compliance and efficacy of processes being adopted by an organization, a facility or a site so as to verify whether, or to what extent, they conform to specified audit criteria in the context of responsible environment management and also as regards compliance of the conditions prescribed while granting environmental clearances/approvals and shall encompass, but not limited to, Environmental Financial Audit, Environmental Performance Audit & Environmental Compliance Audit in context of Environmental obligations.

j. “Environment Auditor (EA)” means an individual professional or firm having expertise in various aspects of environmental management that *inter-alia* include national and international environmental frameworks, legislations, conventions and declarations, guidelines, environmental approvals, environmental standards, relevant concepts for effective environmental assessment and management viz. pollution load assessment, carrying capacity of an area, energy audit, environment financial audit, environment compliance audit, environment performance audit, water audit etc;

k. “Environment Audit Designated Agency (EADA)" means the agency or agencies, as notified by the government from time to time, responsible for overall management of the Environment Audit Scheme including drawing up eligibility criteria and conducting necessary exams for the certification and registration of Environment Auditors, monitoring of their performance, trainings, capacity building of CEAs, Registered Environment Auditors (REAs) and EAF;

l. “Environment Compliance Audit” includes audit of activities, project or processes to ascertain whether any one or a combination of them are being implemented in accordance with the relevant environmental laws, rules, notifications, regulations and standards and shall include examination and compliance of specific terms and conditions, prescribed in respect of respective project on case by case basis under the EP Act, Air Act, Water Act, FC Act, and WLP Act and various notifications, rules and regulations issued in this regard;

m. “Environment Financial Audit” means the component of environment audit that enables the auditor to express an opinion on whether the financial statements reflect financial bandwidth, adequate provisions/reserves/resources are available in the accounts towards meeting the environmental liabilities/obligations and expenditure incurred in material respects that can be directly linked to environmental costs, obligations, impacts and outcomes and correlate the extent of production or output with the environmental approvals granted or required to be obtained under relevant environmental regulations applicable to such project, activity or processes;

n. “Environment Performance Audit” includes evaluation/examination of performance of the entity, efficacy of the technology solutions or other practices undertaken while executing the project, activity or processes from the perspective of preventing, controlling & abating pollution and to meet the prescribed standards and indicators;

o. "Green approvals" means any approval/ clearance/ authorisation granted or obtained under any regulations framed under EPA, 1986; Air & Water Act; FC Act; and WLP Act, or under any other related extant regulations, orders of the Central or State Government;

p. "Guidelines" means guidelines published by the Govt. or EADA in the context of this notification on different issues from time to time;

q. "Registered Environment Auditor (REA)" means CEAs who are registered with the MoEFCC for undertaking environment audit;

r. "Registered Environment Auditing Firm (REAF)" means empanelled EAFs who are registered with the MoEFCC for undertaking environment audit;

s. "National Certification Examination" means online All India Examination, to be conducted by EADA, for certifying environment auditors.

3. Roles & Responsibilities of REA/ REAF

The roles and responsibilities of the Environment Auditor shall include:

i. To undertake independent third-party environment audit of project, activities and processes w.r.t. prevalent Environmental Laws and regulations such as EC under EIA Notification, 2006; Consent to Operate (CTO) under Air and Water Act; Authorization under Hazardous Waste Rules etc; Forest Clearance under FC Act; Wildlife Clearance under WLP Act , CRZ Regulations, etc;

ii. The Environment Audit shall encompass, but will not be limited to, Environment Financial Audit, Environment Performance Audit, and Environment Compliance Audit in the context of Environmental obligations;

iii. To undertake verification of the Self Compliance Report of the project, activities and processes as per the prescribed regulations and standards; and using the approved guideline, protocols, templates and practices;

iv. To recommend mitigation measures with respect to identified environmental impacts, wherein with reference to EC, mitigation measures indicated in the Environment Management Plan (EMP) (as part of Environment Impact Assessment (EIA) report) and those identified during assessment of the project for EC shall be taken into consideration;

v. To undertake sampling and analysis for emissions, effluents, etc. and evaluation of pollution control and waste management devices installed; wherever required, for which the auditor shall have equipment/tools/systems and software or shall take services of NABL/MoEF&CC/CPCB/SPCB recognized laboratories for collecting information and data during the audit;

vi. To report cases of violation and non-compliance of extant Environmental regulations applicable to the project, process or activity, as the case may be;

vii. To undertake computation of Environment Compensation for non-compliance and violation;

viii. To prepare and submit the Environment Audit Report as per the extant regulation and guidelines;

ix. To carry out verification activities in respect of the GCR as 'designated agency', if also authorized by the 'Administrator' under the Green Credit Rule, 2023 following the procedure prescribed in GCR.

4. Sources of information, to be considered, for undertaking audit may include:

i. Green approvals obtained by the project proponent from relevant government agencies/regulatory authorities.

ii. EMP as associated with EIA report;

iii. Rules and regulations governing the project proponent relating to environmental compliance.

iv. Internal audit reports of the project proponent and/ or evaluation reports by external experts, if available.

v. Commitments and assurances provided by the project proponent to government agencies, regulatory bodies etc.

vi. Inspection by Regional Offices (RO)/Sub-Regional Office (SRO)/SPCB/CPCB.

vii. Materials from civil society organizations, peer review reports, media reports, academic reviews etc.

viii. Financial accounts of the project proponent;

ix. Technology solutions adopted by the proponent and benchmarking it with performance and industry standards and practices, and extant regulation thereof;

ix. Sustainability assessment study reports conducted following nationally or globally accepted procedures;

x. Projects, Activities, Processes being undertaken as part of GCR.

5. Methods for collecting audit evidence: Audit evidence shall be collected through any or combination of means such as written queries, questionnaires, interviews, photographs, testing of samples or any other methodology prescribed in the guidelines or as deemed appropriate by the environment auditors. The auditor may adopt any or a combination of the following methods for collecting audit evidence:

i. Review of relevant documentation and reports;

ii. Interview of relevant site personnel;

iii. A site inspection of relevant activities/processes and Project

iv. Comparative international best practices

v. Other audit evidence collection methods, as appropriate, depending on the objective and scope of the audit

vi. Inspection Reports/Auditing carried out by individuals/Committees as per Orders/Judgements of NGT/Courts.

6. Site Visit and Sampling- Site visits shall be undertaken with the objective of collating adequate, acceptable and material audit evidence including for sampling, if necessary to support the audit findings and conclusions.

7. Period under Audit- The audit shall include activity, processes or project undertaken during the period since the previous authorized environment audit; or where there has been no previous authorized environment audit, the period since the date of the issue of relevant green clearances/approvals under relevant regulation; and if such environmental approval has not been obtained, from the date of commencement of the project or activity or process.

8. Periodicity of Audit- Periodicity of the audit in the context of a project, activity or process thereof shall be, as prescribed by the Central Government from time to time.

9. **Implementation of Environment Audit Notification**- The extant Notification shall be implemented through an Environment Audit Designated Agency (EADA), namely National Productivity Council (NPC) or any other agency that may be notified by Central Government which shall be responsible for the effective implementation of the extant Notification with assistance from all the requisite agencies/organizations including the Empanelment Agency.

10. Roles & responsibilities of the Environment Audit Designated Agency (EADA) shall include:

i. Certification and registration of Environment Auditors and their renewal, withdrawal, suspension or cancellation of such certification or registrations;

ii. Specifying minimum eligibility requirements for certification of EAs and registration of CEAs;

iii. Conduct of requisite examination and/or undertake such other process to identify qualified personnel for certification and registration as Environment Auditor, if required by engaging National Testing Agency (NTA);

iv. Specifying guidelines/procedures/standards for functioning of REAs;

v. Monitoring the performance of REAs and issuance of directions, as may be required, for compliance;

vi. Conduct of training through workshops, seminars, conferences etc. of CEAs and EAFs to keep them updated on state-of-art technologies, mitigation methods etc.

vii. Undertaking capacity building measures such as:-

  a. Encouraging self-training

  b. Knowledge-sharing and benchmarking with other audit institutions

  c. Facilitating internships

  d. Collaboration with environmental organizations and other stakeholders

  e. Engagement of experts for knowledge experience sharing

  f. Preparing online training and capacity building material including those related to practise in environmental auditing.

viii. Take disciplinary action against REAs against whom complaints are received including suspension/cancellation of their registration. The EADA shall, however, not take any action against an Auditor without following the principles of natural justice.

11. Roles and Responsibilities of Empanelment Agency-

i. Empanelment and registration of EAF and their renewal, withdrawal, suspension or cancellation of such registrations;

ii. Specifying minimum eligibility requirements for empanelment and registration of EAFs.

iii. Undertake such process to identify EAF for empanelment and registration as REAF

iv. Specifying guidelines/procedures/standards for functioning of REAF;

v. Monitoring the performance of REAFs and issuance of directions, as may be required, for compliance;

vi. Conduct training through workshops, seminars, conferences etc. for REAF to keep them updated on state-of-art technologies, mitigation measures etc.

vii. Take disciplinary action against REAs against whom complaints are received including suspension/cancellation of their registration. The Empanelment Agency shall, however, not take any action against an REAF without following the principles of natural justice.

12. Registration of EADA and Empanelment Agency- EADA and Empanelment Agency shall be registered with Ministry for five (5) years and will be evaluated every year on the basis of prescribed guidelines which shall be the basis of their confirmation as EADA or Empanelment Agency.

13. Accountability of EADA and Empanelment Agency- The EADA and Empanelment Agency shall perform its functions under the Environment (Protection) Act, 1986. They shall:

i. Perform its functions in a transparent manner

ii. Ensure that stakeholder discussions, as may be relevant, are made publicly available

iii. Publish an annual report of the activities undertaken by it as per the Guidelines formulated by the Ministry in this regard, the copy of which will be also submitted to the Ministry

The Central Government, on being satisfied that the notified EADA and Empanelment Agency has been found lacking in the discharge of its roles and responsibilities and/or has breached trust may de-register EADA/Empanelment Agency as deemed appropriate.

14. Certification of Environmental Auditors- Environment Auditor shall be certified by the EADA utilizing following two modes which shall be detailed out in guidelines:

i. Recognition of Prior Learning (RPL) – to be in operation for a limited specified period

ii. National Certification Examination (NCE) process.

The EADA shall prescribe minimum eligibility criteria for each of the above modes in the guidelines.

15. Applicability of NCE and RPL scheme

i. The National Certification Examination (NCE) process for certification of the EAs is expected to be operational by -------2024 to take care of REA pool development requirement.

ii. The RPL mode of certification of the CEAs to be operationalized by ------2024 and will remain in operation as notified by the Central Govt from time to time.

16. Registration of CEA and empanelled EAF-

i. No professional or firm shall render services as an Environment Auditor unless registered by the Ministry. In order to be registered, the professional and firm shall be certified by EADA and empanelled by Empanelment Agency, respectively for which they have to possess minimum stipulated qualifications and/or criteria, and professional may have to undergo requisite selection process including appearing for an examination (if prescribed), to be conducted by the EADA, as per the prescribed procedure;

ii. Ministry shall maintain an online register containing list of Registered CEA and empanelled EAF;

iii. CEAs after certification can also be engaged with private/ public entities assisting them with reference to environmental management and environmental compliance. However, those CEAs engaged by industries cannot be registered with Ministry as REA for undertaking auditing under the Environment Audit Notification.

iv. The detailed certification process for professional and detailed empanelment procedure for Environment Audit Firm (EAF) and their registration shall be as prescribed in the guideline.

17. Period of Validity of Registration

i. The registration of CEA shall be valid for a period of **THREE YEARS** and will be renewable after every three years for which Certified Environment Auditor shall attend a short-term refresher course conducted by

the EADA and upon successful completion of the requirements of the refresher course, an application for renewal of registration can be made.

ii. Registration of EAF shall be valid for a period of FIVE YEARS and will be renewable after five years on the basis of review by Empanelment Agency as per guidelines, as prescribed.

18. Eligibility Criteria- for Certification of Environment Auditors and Empanelment of Environment Audit firms and their Registration shall be as prescribed by the EADA from time to time in the guidelines.

19. Training and Capacity Building of CEA, REA and Registered Environment Audit Firm (REAF)-

i. The EADA shall impart training to the Certified Environmental Auditor, Registered Environment Auditor (REA) and REAF with reference to their role in environmental financial, compliance and performance auditing. This shall inter-alia include knowledge of different Environment and Forest related Acts and regulations such as EPA, Air Act, Water Act, Forest Act, Wildlife Act, EIA Notification, Waste Management Rules and other such field of study that is relevant for prevention, control and abatement of pollution such as energy efficiency assessment, taxation, GST, etc.

ii. Empanelment Agency shall be involved during the training and capacity building of REAF.

20. Accountability of REA/REAF- The REA/REAF shall undertake the audit as per the scheme, notified by the Government or its authorized agency from time to time. The REAs/ REAFs shall be accountable to the Government for the actions undertaken by them under the scheme notified under the Environment (Protection) Act, 1986 and shall accordingly, be liable for action for breach of its duties/responsibilities.

21. Operational Autonomy of EADA, Empanelment Agency, REA and REAF

i. EADA and Empanelment Agency shall exercise operational and functional autonomy in discharge of their roles and responsibilities subject to the conditions and standards prescribed by the Central Government from time to time.

ii. REA/REAF shall act in accordance with the Rules and regulations of the Central Government and the Guidelines framed by the EADA.

22. Consequences of breach of trust: REA and REAF, if found to have misrepresented or falsely reported or misreported or not reported any material fact or has manipulated information that is required to be reported in the Audit report or in case of proven instances of unprofessional/unethical conduct and practices shall be construed to have committed breach of trust. The 'consequences of breach of trust' may include any or combination of the following actions:

i. **Debarring of the REA/REAF:** Ministry shall have right to debar a REA/REAF who has committed breach of trust.

ii. **Revocation of the Registration:** The registration can be revoked or suspended for specified period on the grounds of proven instances of unprofessional/unethical conduct and practices of a REA/REAF. The EADA and Empanelment Agency shall constitute a Committee for this purpose to investigate the matter. The concerned REA or REAF shall be informed of the charges against him/her and given a reasonable opportunity to be heard before a decision is taken on the issue.

iii. **Consequences under Environment (Protection) Act, 1986:** The REA/REAF shall also be liable for violation of Environment (Protection) Act, 1986 on the grounds of proven instances of unprofessional/unethical conduct and practices and the provisions of Section 15 and 19 of the said Act may also be applicable.

23. Conflict of Interest: In order to ensure independence and to avoid conflicts of interest, REA/REAF carrying out auditing, shall not:

i. Be related to any owner or operator or Project Proponent of the relevant project, process or activity. Such a relationship includes: employer, business partner, employee, having a contractual arrangement outside the audit, spouse, partner, sibling, parent, and child;

ii. Have or had any pecuniary interest in the relevant project, process or activity of the auditee or parent company. Such an interest includes the situation where there is a reasonable likelihood or expectation or obtaining of financial gain or loss to the auditor, or to a person to whom the auditor is closely related (i.e. immediate family, organization in which the person is or has served);

iii. Have provided services (not including independent reviews / auditing) to such project, process or activity to the extent that they would be auditing work done by themselves or their company; or

iv. Accept any inducement, commission, gift or any other benefit from auditee organisations, their employees or any interested party or knowingly allow colleagues to do so;

v. Jointly or severely, undertake the Environmental Audit of any auditee in whose case such REA/REAF has prepared either the EIA or EMP report or has submitted any other report that may be subject matter of the Environmental Audit.

24. Environmental Audit as part of Annual Financial Audit- It shall be desirable to include the environment audit as part of the regular annual financial audits of firms/companies, wherein the concerned audit teams in association with REA/REAF may verify environment compliance in the areas of environment financial audit, environment compliance audit and environment performance audit.

25. Assignment of REA/REAF to projects for Environment Audit- Subject to the provision of Clause 23 above, the assignment of REA/REAF to particular project entity shall be based on random assignment method utilizing computer based online software programme integrated with PARIVESH portal of MoEFCC.

26. Audit Reporting shall be as per the procedure and template prescribed by EADA in the guidelines.

27. Post Audit Report follow-up

i. The auditor may provide the draft audit report to the management of the auditee for review and provide the said auditee an opportunity to provide any additional information. The auditee should respond to the audit findings within maximum four weeks of receiving the final report, with an action plan responding to the audit findings and any recommendations;

ii. The auditor's draft report should only be revised where additional information or evidence is provided that results in a change to compliance status or corrects errors in fact or misunderstanding;

iii. In the event that an audit report requires the development of a particularly complex or technical action plan, the auditee may request for a longer timeframe for completion along with justification, which shall form part of the certified Environment Audit Report submitted to the regulatory authorities;

iv. The project with track record of regular annual submission of Environment Audit Report certified by REAF shall be exempted from the requirement of separate certified compliance report from the regulatory authorities with respect to their application of environmental clearance/approval for expansion projects under the existing statutes;

28. Action Taken on the basis of audit reports- Audit reports shall be reviewed by a peer review committee constituted by EADA with approval of the Ministry; and the peer reviewed report shall be forwarded to the regulatory authorities as prescribed in the guidelines, for necessary action.

29. Committee for Environment Auditing Framework under Environment Auditing Notification

A committee shall be constituted by the Ministry under the chairmanship of Additional Secretary/ Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change for effective implementation of Environment Auditing framework including amendments to Environment Auditing guidelines. The committee shall monitor the implementations of Environment Auditing Scheme and also take such measures as required from time to time related to any provision of the Scheme as may be necessitated for removal of difficulties and smooth implementation of the Scheme.

30. Nothing contained herein prevents mandating any other audit by government, as may be required from time to time by other Agency as deems appropriate under the facts and circumstances of the case.

31. Nothing contained herein prevents the Central Government from initiating any action, in case of any report of damage to environment, which is proven to be true on the basis of investigation substantiated by factual and material evidences and which is brought to its knowledge through sources other than that through environmental auditing under this Scheme.

[F. No. IA-J-11014/3/2021-IA-I.Pt.1]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.02.02 22:06:26 +05'30'